

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट- हुरडा

श्रीमति जमना देवी पत्नि ओमप्रकाश शर्मा बनाम फतेह लाल पिता बालु लाल महाजन
निवासी- गुलाबपुरा निवासी- हुरडा

किस्म मुकदमा-ईजराय प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या- 40/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2018	<p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट में पेश हुई। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या' 36/2017 निर्णय दिनांक 27.06.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरडा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा डिकी की पालना राजस्व रिकार्ड में कर जमाबन्दी की प्रति जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2018/913 दिनांक 27.04.2018 से प्रस्तुत की गई, जो पत्रावली में संलग्न है। प्राप्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील डिकीदार को करवाया गया जिससे वह सन्तुष्ट होना जाहिर किया है।</p> <p>मैने भी प्राप्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया। तदनुसार डिकी पालना होना सुनिश्चित हुआ है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली शुमार फैंशल होकर दाखिल दफतर करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट हुरडा में सुनाया गया।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प